



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty. Divl., PWD, Sahliya, Dehradun Uttarakhand
Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eepwdsahlyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1234/6सी०
सेवा में,

दिनांक 24 / 7 / 2024

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमरउ -ललउ -मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 वनभूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:- सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 1585(1)/X-3-21 /1(119)/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/123339/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के पत्र संख्या 5106/12-1 दिनांक 17.05.2023 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित (छायाप्रति संलग्न)। परन्तु उक्त कार्य परिवेश पोर्टल में फार्म A स्टेज II में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र संख्या 708/6सी० दिनांक 28.05.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त के संबंध में आप अपने स्तर से विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड की जा सकें।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया
दिनांक /07/2024

पत्रांक /

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वनभूमि सहायक/खण्डीय अमीन, अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
पत्राक-5106, / 12-1 दिनांक, चकराता 17, मई 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरुड-ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.665 है०) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-1585/X-3-21/1(119)/2021 दिनांक 22.12.2021 महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त विषयक सदरित पत्र से विषयक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई। जिसकी अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सहिया द्वारा अपने पत्र सं०-663/6सी दिनांक 09.05.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है -


क० स०	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर निगमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 1,61,000.00 मात्र की धनराशि कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि रू० 6,68,464.00 कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। संलग्नक-1 में निहित है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में वृद्धि होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनको शर्त मान्य हैं। वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

AE II / वनभूमि लैण्डिंग

3/6/23
Exp. No. 3894
21/05/23



4	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों रू० 8,29,464.00 मात्र कैम्पा कोष के खाते में जमा करा दी गई है। संलग्नक-1 में निहित है।</p>
5	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संसतुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा शर्त का अनुपालन किया जाएगा (संलग्नक-3)</p>
6	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में चस्पा है।</p>
7	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।</p>
8	<p>प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।</p>




dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078


9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य हैं।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार


भवदीया



(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता, 

संख्या- 5106 (4)/12-1 उक्त दिनांकित।

✓ प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता, 



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया

Office of the Executive Engineer, Ty.Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com



पत्रांक : 663 / 6सी0
सेवा में,

दिनांक 9 / 05 / 2023


प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चकराता,
कालसी,

विषय:- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.665 है0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ:- सैद्धान्तिक स्वीकृति शासनादेश संख्या -1585 / X-3-21 / 1(119) / 2021 दिनांक 22.12.2021 महोदया,

उपरोक्त विषयक सर्दभित पत्र के कम मे आपको अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग में वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0-1585 / X-3-21 / 1(119) / 2021 दिनांक 22.12.2021 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है।


क0 स0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्रेषित पत्र सं0 4845 / 12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू0 161000.00 मात्र जमा कर दी गयी हैं (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्रेषित पत्र सं0 4845 / 12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू0 668464.00 मात्र जमा कर दी गयी हैं (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	मान्य हैं। (वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)




EC

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्रेषित पत्र सं० 4845/12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू० 829464.00 मात्र जमा कर दी गयी है (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संसतुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	मान्य हैं।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य हैं।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य हैं।

अतः उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।


सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया

१८